सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय :– भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबधं में ।

K. Gu/DA
04/04/17

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं संजु देवी

ग्राम मसमोहना पो० मसमोहना थाना जयनगर

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :–

1. मौजा गुमो
2. थाना तिलैया
3. थाना न0 12
4. खाता न0 580
5. प्लॉट न0 1181
6. रकवा 1.66 डी०
7. भूमि का किस्म रैयती
8. अधतन रसिद न0
9. दा0 खारिज वाद संख्या

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतू सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मै श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

संजु देवी

7004681012

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...179.../2023

11.04.2023

आवेदिका संजू देवी पति श्री श्रवण कुमार सिंह, साकिन–मसमोहना, पोस्ट मसमोहना, थाना–नवलशाही, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
गुमो	12	580	1181	1.66 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक ....18....../....04....../2023 को प्रस्तुत करें।

11/04/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

18.04.2023

अभिलेख उपस्थापित

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।
हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता सं0–580, प्लॉट सं0–1181, रकवा–1.66 डी0 भूमि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–8, भाग संख्या–59 पर संजू देवी पति श्री श्रवण कुमार सिंह के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं0–560 दिनांक 13.02.2020 दर्ज है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष–2020–21 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या–2 दिनांक 6.04.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता सं0–580, प्लॉट सं0–1181, रकवा–1.66 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

18/04/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.09.16 13:57:15 +05:30
Location: 192.168.29.246